रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012024-251363
CG-DL-E-16012024-251363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2024/पौष 25, 1945
No. 33] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2024/PAUSHA 25, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024

सा.का.नि.38(अ).—जबकि मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2023 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 6 अक्टूबर, 2023 में प्ररूप नियम प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था, जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

और, जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 06 अक्टूबर, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं;

और, जबकि उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली,1989 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 15 के उप-नियम (3) में,-

(क) खंड (क) में, शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर-व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (च) में, शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर-व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (द) में शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर-व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) खंड (फ) के उप-खंड (ii) में शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर-व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमावली के नियम 31 के, उप-नियम (1) में, शीर्षक “क. ड्राइविंग सिद्धांत-I” के सामने क्रम सं. 2 में शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर-व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमावली के नियम 62 में, उप-नियम (1) में, प्रथम परंतुक में, सारणी में क्रम सं. (6) के सामने स्तम्भ 2 में शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर-व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमावली के नियम 93 में,

(क) उप-नियम (1) के, खंड (ख) में,

(i) उप-खंड (i) में, शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर-व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-खंड (iii) में मद सं.(ख) में, स्पष्टीकरण III के, टिप्पण में, शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए युक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) के खंड (2) में, पहले स्पष्टीकरण में, मद (क) में, उप-खंड (viii) के, पहले परंतुक में, पैरा (ख) में, शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए युक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उप-नियम (3) में, शब्द "ड्राइविंग मिरर" के स्थान पर, "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए युक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उप-नियम (4) में, शब्द "ड्राइविंग मिरर" के स्थान पर, "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए युक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

6. उक्त नियमावली के नियम 124 में, उप-नियम (4) में, सारणी में, क्र. सं. 8 के सामने, स्तम्भ (2) में "रियर-व्यू मिरर" शब्दों के स्थान पर "*अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए युक्ति*" शब्द रखे जाएंगे;

7. उक्त नियमावली के नियम 125 के, उप-नियम (2) में,-

(क) शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पहले परंतुक में, -

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ख-1) केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख से बारह मास के पश्चात निर्मित बॉडी वर्क सहित एल 5 श्रेणी (तीन पहिया वाहन) के लिए *अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए युक्ति* विनिर्देश और संस्थापन आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 और एआईएस -002 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 मानक में निर्दिष्ट होंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है”;

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित जाएगा, अर्थात्: -

“(ग-1) केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख से बारह मास के पश्चात विनिर्मित एम और एन श्रेणी के यानों के लिए, *अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए युक्ति* विनिर्देश और संस्थापन आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 और एआईएस -002 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 मानक में निर्दिष्ट होंगी,

जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है”;

(ग) द्वितीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“ परंतु यह और कि, केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख से बारह मास के पश्चात विनिर्मित एल 7 श्रेणी के यानों के लिए, *अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए युक्ति* विनिर्देश और संस्थापन आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 और एआईएस -002 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 मानक में निर्दिष्ट होंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है:”;

(घ) चतुर्थ परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु यह भी कि केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख से बारह मास के पश्चात विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के लिए अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए युक्ति विनिर्देशों और संस्थापन आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 और एआईएस: 114-2009 मानकों के अनुरूप होंगे, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित नहीं किया जाता है:”;

8. **उक्त नियमावली के** नियम 125-क में, शब्द "रियर व्यू मिरर" के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

9. उक्त नियमावली के नियम 125ग में, उप-नियम (3) में, सारणी 1 में, क्रम सं. 22 के सामने, स्तम्भ (2) में, शब्द "रियर व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमावली के नियम 128 में, उप-नियम (13) के, खंड (i) में, शब्द "रियर-व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे। .

11. उक्त नियमावली के प्ररूप 22ख में भाग क के क्र.सं. 6.22 में, शब्द "रियर व्यू मिरर" के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

12. मोटर यान (ड्राइविंग) विनियमन, 2017 में "रियर व्यू मिरर" शब्द, जहां भी वे आते हैं, के स्थान पर "अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर व्यू मिरर या युक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. आरटी-11036/48/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 2, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून,1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 27(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2024

G.S.R.38(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 723(E), dated the 5^{th} October, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 6^{th} October, 2023 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 6^{th} October, 2023;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989(hereinafter referred to as the said rules), in rule 15, in sub-rule(3),-

(a) in clause (a), for the words "rear-view mirror", the words " rear-view mirror or device for indirect vision " shall be substituted;

(b) in clause (f), for the words "rear-view mirror", the words " rear-view mirror or device for indirect vision " shall be substituted;

(c) in clause (r), for the words "rear-view mirror", the words " rear-view mirror or device for indirect vision " shall be substituted;

(d) in clause (v), in sub-clause (ii), for the words "rear-view mirror", the words " rear-view mirror or device for indirect vision " shall be substituted.

3. In rule 31 of the said rules, in sub-rule (1), under the heading "A. DRIVING THEORY-I", against serial number 2, for the words "Rear-view mirror", the words "Rear-view mirror or device for indirect vision " shall be substituted.

4. In rule 62 of the said rules, in sub-rule (1), in the first proviso, in Table, against serial number (6), in column 2, for the words "Rear View Mirror", the words " Rear view mirror or device for indirect vision " shall be substituted.

5. In rule 93 of the said rules,-

(a) in sub-rule (1), in clause B,-

(i) in sub-clause (i), for the words "rear-view mirror", the words " rear view mirror or device for indirect vision " shall be substituted;

(ii) in sub-clause (iii), in item number (b), in Explanation III, in Note, for the words "Rear view mirrors", the words " device for indirect vision " shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), in clause (2), in first Explanation, in item (A), in sub-item(viii), in first proviso, in paragraph (b), for the words "rear view mirror", the words " device for indirect vision " shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), for the words " a driving mirror ", the words " device for indirect vision" shall be substituted;

(d) in sub-rule (4), for the words " a driving mirror ", the words " device for indirect vision" shall be substituted.

6. In rule 124 of the said rules, in sub-rule (4), in Table, against serial number 8, in column (2), for the words "Rear view mirror", the words "device for indirect vision" shall be substituted.

7. In rule 125 of the said rules, in sub-rule(2),-

(a) for the words "with rear view mirror", the words "with rear view mirror or device for indirect vision " shall be substituted;

(b) in the first proviso,-

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(b-1) for L5 category (three wheeled vehicles) with body work manufactured on and after the twelve months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2024, the device for indirect vision specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev. 2): 2023 and AIS-002 (Part 1) (Rev. 2): 2023 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);";

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(c-1) for M and N category vehicles manufactured on and after the twelve months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2024, the devices for indirect vision specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev. 2): 2023 and AIS-002 (Part 1) (Rev. 2): 2023 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):";

(c) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that, for L7 category vehicles manufactured on and after the twelve months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2024, the devices for indirect vision specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev. 2): 2023 and AIS-002 (Part 1) (Rev.2): 2023 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):”;

(d) after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that for agricultural tractors manufactured on and after the twelve months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2024, the devices for indirect vision specifications and installation requirements shall conform to AIS-001(Part 1) (Rev.2): 2023 and AIS:114-2009 standards respectively as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):”.

8. In rule 125A of the said rules, for the words “rear view mirror”, in both the places where they occur, the words, “rear view mirror or device for indirect vision” shall be substituted.

9. In rule 125C of the said rules, in sub-rule (3), in TABLE 1, against serial number 22, in column (2), for the words "Rear view mirror", the words " Rear view mirror or device for indirect vision " shall be substituted.

10. In rule 128 of the said rules, in clause (13), in sub-clause (i), for the words "rear-view mirrors", the words "rear view mirror or device for indirect vision " shall be substituted.

11. In Form 22B of the said rules, in PART A, against serial number 6.22, for the words "rear view mirrors", the words "rear view mirror or device for indirect vision " shall be substituted.

12. In Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017 for the words “rear view mirror”, wherever they occur, the words “rear view mirror or devices for indirect vision” shall be substituted.

[No. RT-11036/48/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* Notification number G.S.R. 27(E), dated the 5th January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA